

पुरानी पेंशन योजना	नवीन अंशदायी पेंशन योजना
1. 33 वर्ष की सेवा निवृत्ति उपरांत अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है।	नई पेंशन योजना में सेवा निवृत्ति के समय जमा राशि की एन्युटी पर निर्भर रहती है।
2. पुरानी पेंशन का पुनरीक्षण समय-समय पर होता है।	नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को कुल वेतन (वेतन+महंगाई भत्ता) से 10 प्रतिशत राशि कटौती की जाती है तथा नियोक्ता अंशदान (10 प्रतिशत तथा दिनांक 01.04.2021 से 14 प्रतिशत) कुल 24 राशि जमा होती है। जिसका प्रतिफल उत्साह वर्धक होता है।
3. पुरानी पेंशन में 80 वर्ष आयु पर अतिरिक्त पेंशन प्रावधान है।	नई पेंशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
4. पुरानी पेंशन में परिवार पेंशन पात्रता है।	नई पेंशन में परिवार पेंशन की कोई पात्रता नहीं है।
5. पुरानी पेंशन पर पृथक से महंगाई राशि प्राप्त होती है।	नई पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।



अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग